"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2016— अग्रहायण 28, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12271/डी. 282/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-12-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 36 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्र. 30 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्र. 30 सन् 2002) की द्वितीय अनुसूची में, सरल क्रमांक 1 में,-

(एक) प्रविष्टि (दो) में, शब्द "जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद धारित किया हो" के स्थान पर, शब्द "जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश का पद धारित किया हो" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) प्रविष्टि (तीन) का लोप किया जाये.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12271/डी. 282/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-12-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 36 of 2016)

THE CHHATTISGARH LOK AAYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Lok Aayog Adhiniyam, 2002 (No. 30 of 2002).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Lok Aayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

   (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Second Schedule.

2. In Second Schedule, in serial number 1, of the Chhattisgarh Lok Aayog Adhiniyam, 2002 (No. 30 of 2002),-

   (i) in entry (ii), for the words "who have held the office of a Chief Justice of a High Court", the words "who have held the office of a Chief Justice or a Judge of a High Court" shall be substituted; and

   (ii) entry (iii) shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.